राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. 93/2018

उनवान

1. रामनिवास आयु 50 वर्ष पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी हेजमपुरा तह व जिला झुन्झुनू।
2. सुभाष आयु 47 वर्ष पुंत्र सुलतान जाति जाट निवासी हेजमपुरा तह व जिला झुन्झुनू।
3. देवकरण आयु 43 वर्ष पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी हेजमपुरा तह व जिला झुन्झुनू।
4. मु0 विमला आयु 55 वर्ष पुत्री अर्जुनराम जाति जाट निवासी हेजमपुरा तह व जिला झुन्झुनू।

वादीगण

बनाम

1. महावीर आयु 54 वर्ष पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी हेजमपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं
2. राजस्थान सरकार जरिये लैन्ड होल्डर तहसीलदार, झुंझुनूं

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती रिकार्ड

विवेचन

दिनांक 10/10/24

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील झुंझुनूं में जमीन ख.नं. 142 तादादी 1.13 हेक्टर, ख.नं. 143 तादादी 1.14 हैक्टर, ख.नं. 145 तादादी 1.13 हैक्टर, ख.नं. 288 तादादी 2.02 हैक्टर, ख.नं. 289 तादादी 0.01 हैक्टर (गे.मु.छतरी), ख.नं. 290 तादादी 2.02 हैक्टर, ख.नं. 291 तादादी 0.120 हैक्टर, ख.नं. 299/442 तादादी 0.25 हैक्टर, ख.नं. 300 तादादी 1.76 हैक्टर व ख.नं. 300/427 तादादी 0.36 हैक्टर, कुल किता 10 रकबा 9.94 हैक्टर वाके ग्राम हेजमपुरा स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के पूर्वज स्व. गोविन्दराम की खातेदारी की रही। उक्त गोविन्दराम के तीन पुत्र वादी नं.4 के पिता भुर्जनराम, वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता स्व. जोधाराम व वादीगण नम्बर 2, 3 के पिता स्व. सुलतान हुये। उक्त गोविन्दराम की मृत्यू के बाद इस जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उसके उक्त तीनों पुत्रगण का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा शामिल में रहा। उक्त अर्जुनराम के कोई पुत्र सन्तान नहीं हुई। अपने पिता अर्जुनराम की एक मात्र पुत्री सन्तान है। वादी नम्बर 4 इसलिए उक्त अर्जुनराम का देहान्त हो जाने के बाद इस जमीन उक्त अर्जुनराम के 1/3 हिस्से की जमीन की खातेदार काश्तकार है व काबिज है। जोधाराम का भी देहान्त हो गया। उक्त जोधाराम का देहान्त हो जाने के बाद इस जमीन जेर बहस में उक्त जोधाराम के 1/3 हिस्से की जमीन के खातेदार काश्तकार उसके दो पुत्रगण वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार हैं व काबिज हैं। उक्त अनुसार इस जमीन के राजस्व रिकार्ड की स्थिति के बावजूद राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की ककी गलती से वादी नम्बर 1 के पिता का नाम स्व. जोधाराम के बजाय सुलतान गलत दर्ज कर दिया तथा सुलतान के इस जमीन में 1/3 हिस्से की जमीन में 1/9 हिस्से की जमीन

Scanned with OKEN Scanner

भी गलत दर्ज कर दी जबकि वादी नम्बर 1 न तो स्व. सुलतान का पुत्र है तथा न वादी नम्बर 1 का स्व. सुलतान के हिस्से की जमीन में कोई हिस्सा है। इसके फलस्वरूप स्व. सुलतान के दो पुत्रगण वादीगण नम्बर 2 व 3 के प्रत्येक के हिस्से में 1/9 हिस्से की जमीन में गलत दर्ज कर दी जबकि वादीगण नम्बर 2, 3 का प्रत्येक का स्व. सुलतान के 1/3 हिस्से की जमीन में बराबर बराबर हिस्सा है अर्थात प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। इसी प्रकार वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता स्व. जोधाराम का 1/3 हिस्सा है जिसमें वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है लेकिन वादी नम्बर 1 को उक्त अनुसार गलत रूप से स्व. सुलतान का पुत्र दर्ज कर उसकी खातेदारी की भूमि में 1/9 हिस्सा गलत दर्ज करते हुये स्व. जोधाराम की खातेदारी की सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की जमीन भी अकेले प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से गलत दर्ज हो गई जबकि स्व. जोधाराम की खातेदारी की 1/3 हिस्से की भूमि में वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है जो इसी प्रकार दर्ज होना चाहिये था। उक्त अनुसार गलत राजस्व रिकार्ड एब इनिसियों नल एन्ड वोईड व शून्य बेअसर है व काबिले दुरूस्ती है। वादी नम्बर 1 का शिक्षा सम्बन्धी रिकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार कार्ड आदि में पिता का नाम जोधाराम दर्ज है न कि सुलतान। उक्त अनुसार जमीन जेर बहस के गलत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि के दुरूस्त किये जाने में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 को किसी को भी कोई आपति नहीं है। इसके लिए वादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 2 तहसीलदार, झुंझुनूं को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 ने स्वयं रिकार्ड दुरूस्त न कर सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती हेतु आदेश प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसलिए वादीगण को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह दावा करना आवश्यक हुआ है। बिनाऐ मुखास्त दावा हाजा के लिए तब पैदा हुई जब प्रतिवादी नम्बर 2 ने वादीगण को विवादित जमीन के राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने का परामर्श दिया जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुई। दावा को सुनने का हक न्यायालय श्रीमान् को अं.धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व इसी एक्ट के तृतीय सेड्यूल के सीरियल नम्बर 5 के तहत है जिसके लिए कोई मियाद नहीं है। इस्तकरारहक इस अमर का फरमाया जावे कि वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 जमीन ख.नं. 142 तादादी 1.13 हैक्टर, ख.नं. 143 तादादी 1.14 हैक्टर, ख.नं. 145 तादादी 1. 13 हैक्टर, ख.नं. 288 तादादी 2.02 हैक्टर, ख.नं. 289 तादादी 0.01 हैक्टर (गे.मु. छतरी), ख. नं.. 290 तादादी 2.02 हैक्टर, ख.नं. 291 तादादी 0.120 हैक्टर, ख.नं. 299/442 तादादी 0.25 हैक्टर, ख.नं. 300 तादादी 1.76 हैक्टर व ख.नं. 300/427 तादादी 0.36 हैक्टर, कुल किता 10 रकबा 9.94 हैक्टर वाके ग्राम हेजमपुरा से 1/3 हिस्से, वादीगण 2 व 3 इस जमीन के 1/3 हिस्से व वादी नम्बर 4 इस जमीन के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं व काबिज है तथा इसके विपरीत इस जमीन का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी आदि गलत नल एन्ड वोईड है तथा वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत शून्य बेअसर है जिसे दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें व वादी नम्बर 1 के पिता का नाम सुलतान के बजाय जोधाराम दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने का भी आदेश फरमाया जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 की तरफ से इकबालिया जबाव पेश निवेदन किया गया वाद वादीगण द्वारा पेश किया गया प्रकरण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जबाव दावा पेश किया गया जिसे शामिल मिशल किया गया। वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपना चीफ शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों पर प्रदर्श डाले गये। प्रकरण में एक पक्षीय बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया गया तथा प्रदर्शो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन

Scanned with OKEN Scanner

कार्ड, सैकण्डरी स्कूल मार्कसीट, राशनकार्ड इत्यादि के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि वादी संख्या 01 रामनिवास के पिता का नाम जोधाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 81 में रामनिवास के पिता का नाम सुल्तान दर्ज है जो कि गलत है। अतः उपरोक्त दस्तावेजातों साक्ष्यों के आधार पर एवं न्यायालय मत पर वादी संख्या 01 रामनिवास के पिता का नाम ग्राम हेजमपुरा की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 81 में सुल्तान के स्थान पर जोधाराम दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी संख्या 01 रामनिवास के पिता का नाम ग्राम हेजमपुरा की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 81 में सुल्तान के स्थान पर जोधाराम दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner